about our Govenrment. But as far as this consultation with other Ministries is concerned, the hon. Member would appreciate that this is a question of airwaves. Our country is facing a serious threat of terrorism. Therefore, whenever any institution applies for a licence, for a community radio, we have to ensure that this is a genuine body; there is no backup from any foreign country or a terrorist organisation. Therefore, feedback from the Ministries of External Affairs, Human Resource Development and Home is important. That, we don't want to short-circuit. Yes, as far as ensuring a particular timeframe is concerned, we are quite alive to that, and once things are properly operationalised, you will see that it shall be cleared within a definite timeframe.

Advertisement of liquor by cable networks

*175. SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:
DR. ABRAR AHMED:†

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that advertisements on consumption of liquor are freely transmitted through Cable Television networks in the country by private/foreign Satellite Channels; and

(b) if so, the action taken by Government to stop such TV advertisements?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Complaints/suggestions are received from time to time regarding advertisements allegedly promoting sale and consumption of liquor.

The Advertising Code, prescribed under the Cable Television Networks Regulation Act 1995 and Rules framed there-under, provides, *inter-alia*, that no advertisement shall be transmitted, which directly or indirectly promotes, production, sale or consumption of cigarettes, tobacco products, wine, alcohol, inquor and other intoxicants.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.

The Central Government has constituted and Inter-Ministerial Committee under Section 20 of the Cable Television Networks Regulation Act 1995, to look into violations of the Advertising Code. Cognizance of such violations, is also taken by the officials and members of the Committees.

In eleven (11) such cases, TV channels have been directed not to telecast advertisements, which were found to be in violation of the Advertising Code. This is an ongoing process.

डा॰ अबरार अहमद: मैडम यह प्रश्न कई बार उठता रहा है कि जिस प्रकार के विज्ञापन टेलीविजन पर दिए जाते हैं और जिस प्रकार से नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में, शराब के बारे में विज्ञापन आए हैं और यह भी बराबर विश्वास दिलाया जाता है कि आगे से यह नहीं हो या प्रावधान इसके विरुद्ध हैं लेकिन इसके बाद भी बराबर यह देखने में आ रहा है कि वे विज्ञापन प्राइवेट चैनल पर बड़ी तेजी के साथ चलते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में पूर्व के आश्वासनों के बावजूद ये एडवरटाइजमेंट न आएं इसके लिए सरकार ने क्या ताजा कदम उठाए हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सम्मानित सदस्य की चिंता बहुत सही है। मैंने मंत्री बनने के साथ ही यह आग्रह किया था तथा मैंने स्व-नियंत्रण की अपील की थी। सारे ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के लोग मुझसे मिलने आए थे और यहा भी सदन के माध्यम से मैंने कहा था, लोक सभा में और यहां भी कह रहा हूं कि मैं स्व-नियंत्रण के लिए आग्रह करता हूं। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने प्रोग्राम कोड बनाए हैं और एडवरटाइजमेंट कोड बनाए हैं जो केबिल रेग्यूलेशन एक्ट के अंतर्गत बने हैं। इसके अंतर्गत हम समय-समय पर कार्रवाई करते हैं। यह शराब इत्यादि का जो विज्ञापन है मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमने 12 मामलों में शो-कॉज़ किया था जिसमें एक पताका चाय का सही पाया गया, बाकी 11 को हमने रोकने का आग्रह किया है, जो रुका है। यह ऑन-गोइंग प्रोसेस है। उसी प्रकार से कई और जैसे अंडरवियर, कामसूत्र के विज्ञापन, जो फुहड़ पॉप सौंग आते हैं उस संदर्भ में भी हम लोगों ने लगभग 18 गानों पर तीन चैनल्स को शो-कॉज किया है। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ आपकी चिंताओं को मैं समझता हूं इसलिए मैंने बड़ी जिम्मेदारी से सभी चैनल्स से आग्रह किया है कि वे स्व-नियंत्रण का प्रयोग करें।

उपसभापति: सरोज दुबे जी,

डा॰ अबरार अहमद: महोदया,

उपसभापति: अब इनको बोलने दीजिए। बोलिए न सरोज जी, आप तैयार ही नहीं हैं।

श्रीमती सरोज दुबे: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह शराब के विज्ञापन बहुत खूबसूरत तरीके से दिए जाते हैं, एक बहुत सुंदर सा हाथ होता है, नेल पौलिश लगी होती है, क्रिस्टल का सुंदर ग्लास होता है। बड़े ही आकर्षक ढंग से विज्ञापन दिए जाते हैं जिससे लोगों के मन में शराब पीने की चाहत जागती है। मंत्रालय ने एक 'टॉस्क फोर्स' बना रखा है जिसके माध्यम से यह इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन इस टॉस्क फोर्स का काम इतना स्लो है-एक-एक विज्ञापन को रोकने में महीनों लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि विज्ञापन का प्रसारण रुक नहीं पाता और उसका खराब असर समाज में पड़ जाता है। मंत्री जी, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: मैडम, कम से कम एक विज्ञापन तो बंद करा दें जिसमें महिला का कपड़े उतरते हुए दिखाया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is assault on women. Women are subjected to such assaults.

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, मैं इनकी चिंताओं को गंभीरता से लेता हूं अगर कुछ कमी रही है तो मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई प्रि-सेंशरशिप का कानून नहीं है जैसे सिनेमाओं के लिए है।

श्रीमती सरोज दुबे: मैडम, शिकायत पर तो मंत्री जी कार्यवाही कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मुझे उत्तर देने दीजिए। .....(**व्यवधान**)... मुझे उत्तर देने दीजिए। 18 गानों पर 13 विज्ञापनों पर शो-कॉज हुए हैं और चल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आप जवाब तो सुन लीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: और भी शो-कॉज होंगे और समय से कार्यवाही होगी। ...(व्यवधान)...

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Strategy to reform the Judiciary

*161. DR. AKHILESH DAS: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have evolved a two pronged strategy on judicial reforms both including appointment of Judges and their accountability;